

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 2174/22/वि-10/ग्रायांसे/स.प्र./2010,

भोपाल, दिनांक : 21/04/10

// आदेश //

बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं बी.आर.जी.एफ. मद के अभिसरण से सड़कों एवं पुल पुलियों के निर्माण कार्यों हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जिला कलेक्टर को प्रदत्त राशि रु. 150.00 लाख (रु. एक सौ पचास लाख मात्र) प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार यथावत् लागू रहेंगे तथा जिला कलेक्टर के समतुल्य, राशि रु. 150.00 लाख (रु. एक सौ पचास लाख मात्र) तक की वित्तीय सीमा में तकनीकी स्वीकृति देने के अधिकार कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को प्रत्यायोजित किये जाते हैं।

2. इस स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के यू.ओ.क्रं. CR-457/B-4/2010 दिनांक 21/4/2010 द्वारा सहमति प्राप्त है।



(अजय तिकी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पु.क्रमांक / 2175/22/वि-10/ग्रायांसे/स.प्र./2010,
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक : 21/04/10

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सचिव, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. सचिव, वित्त विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. संभागायुक्त (समस्त), मध्यप्रदेश।
7. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश।
8. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, (समस्त) म.प्र.।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, (समस्त) म.प्र.।
10. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, (समस्त) म.प्र.।



सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग